



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F 23(16)/NRHM/ISC/Bud.Ann./ (15 Lakh Scheme for 108)/2009/5399 दिनांक :- 25/11/09

स्वीकृति-आदेश

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक F 23 (13)NRHM/ISC/2009/4690 दिनांक 26.10.09 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत 108 एम्बूलेंस सेवा योजना हेतु 30.00 लाख रु की राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट माननीय विधायक महोदय, बागीदौरा द्वारा भिजवाई गई है।


माननीय विधायक महोदय द्वारा चाहे अनुसार एक-एक 108-एम्बूलेंस निम्न स्थानों पर प्रतिस्थापन (Deploy) किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा

उक्त दोनो वाहनो पर "सौजन्य- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बागीदौरा अन्तर्गत स्वीकृत" अंकित किया जावेगा।

उक्त वाहनों का संचालन व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा वहन किया जावेगा। वाहनो का परिचालन तथा नियंत्रण आदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा उसके द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता का होगा। इन वाहनों का संचालन राज्य स्तर पर सेन्ट्रल काल सेन्टर के माध्यम से ही रहेगा एवं इनका संचालन वर्तमान में प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

सुसज्जित वाहन उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर प्रतिस्थापित किये जावेगें।


(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक,
एन.आर.एच.एम.

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं (POK0) , विभाग।

4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
6. निदेशक आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
8. परियोजना निदेशक/वित्तीय सलाहकार/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/CFA/Co-Plan/FC-II/Co-ISC, NRHM, Jaipur.
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ई.एम.आर.आई., जयपुर।
11. प्रभारी-सर्वर रूम को पत्र संबंधित को ई मेल करने एवं विभागीय साइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ।
12. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक,
एन.आर.एच.एम.